Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 33/2021

Rukhsar..... Appellant/Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors..... Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	06.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–20/2019–20 में पारित आदेश तथा ज्ञापांक–545/जि0प्रो0, दिनांक–24.04.2021 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अररिया जिला के नरपरतगंज बाल विकास परियोजनान्तर्गत पंचायत बबुआन के वार्ड सं0–11 में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन हेतु क्रमशः 07.12.2018, 14.12.2018 एवं 18.07.2019 को आम सभा आयोजित किया गया, जिसमें विपक्षी सं0–01 शबाना खातुन को बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से फोकनिया की डिग्री में 72.36% अंक प्राप्त होने के कारण योग्य पाते हुए चयन किया गया, परन्तु आवेदिका की योग्यता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवी उत्तीर्ण होने पर भी चयन नहीं किया गया। आवेदिका द्वारा शबाना खातुन के चयन पर आपत्ति करते हुए दर्शाया गया कि उनके द्वारा फोकनिया की परीक्षा वर्ष 2016 में उत्तीर्णता प्राप्त की तथा साथ ही उसी वर्ष बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमिडियट की परीक्षा में भी सम्मिलित हुई। विपक्षी का यह कृत्य नियम के विरूद्ध था, क्योंकि कोई अभ्यर्थी कैसे एक ही वर्ष में दो अलग–अलग बोर्ड से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकती है। आवेदिका द्वारा उक्त चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के समक्ष अपील सं0–20/2019–20 दायर किया गया, जिसे दिनांक–24.04.2021 को खारिज कर दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के आदेश से आहत होकर आवेदिका द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 06.04.2023	इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमशः तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। विपक्षी द्वारा केवल अंक का लाभ लेने हेतु एक ही वर्ष में फोकनिया एवं बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमिडियट की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। जिसकी पुष्टि सचिदानंद विंध्यावसिनी इंटर कॉलेज, रानीगंज के द्वारा दिनांक–02.08.2019 को जारी टेस्टिमोनियल से यह स्पष्ट होता है कि यह वहाँ की एक नियमित छात्रा रही है। संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा शबाना खातुन का चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं होने के संबंध में आपत्ति दर्ज करने में असमर्थ रही। उन्होंने दर्शाया है कि उक्त पद के लिए दिनांक–10.07.2019 को आयोजित आम सभा में किसी भी अध्यक्ष एवं सदस्य के द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया कि अभ्यर्थी दो अलग–अलग बोर्ड से एक ही वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुई है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत कर संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन हेतु आदेश देने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–01 शबाना खातुन के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका रूखसार के द्वारा दायर प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। आवेदिका द्वारा सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से वाद दायर किया गया है, जो कालबाधित है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः तथ्यों पर आधारित एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय है। आंगनबाड़ी सेविका पद हेतु विपक्षी का चयन मार्गदशिका के नियमों के अनुकूल सभी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया गया है। चयन समिति द्वारा सेविका पद पर इनका चयन फोकनिया की योग्यता के आधार पर किया गया, जिसमें इनका प्राप्तांक सर्वाधिक 72.36% था। इनका फोकनिया की डिग्री बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत की गई है। शैक्षणिक योग्यता में इनके द्वारा कभी कोई इंटर का प्रमाण पत्र सम्मिलित नहीं किया गया। चयन समिति द्वारा आयोजित आम सभा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संपूर्ण प्रक्रिया में विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के साथ स्वयं उपस्थित रही। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा आवेदिका के पनुरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की	

Web Copy. Not Official.

		गई है। अपीलार्थी को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 06.04.2023	स्पष्ट है कि संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु चयनित सेविका शबाना खातुन के द्वारा मदरसा बोर्ड से फोकनिया का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र संलग्न किया गया है, जिसे जाँचोपरांत सही पाया गया। इनका चयन विभागीय मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले आवेदिका होने के कारण किया गया है, जो सही है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश के प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.